PRESIDENT TRUMP'S EXECUTIVE ORDERS ON IMMIGRATION

अस्वीकरण: यह परामर्शिका कानूनी सहायता सोसायटी, आप्रवास विधि इकाई (Immigration Law Unit) द्वारा बनाई गई है। यह परामर्शिका कानूनी सलाह नहीं है और आप्रवास विशेषज्ञ की सलाह को इसके द्वारा बदला नहीं जा सकता।

30 जनवरी, 2017 को राष्ट्रपति ट्रम्प ने दो कार्यकारी आदेश जारी किए, जिस कारण आप्रवासी समुदायों के लिए कई प्रकार का खतरा उत्पन्न हो गया। एक जो संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यक्तियों पर जबकि अन्य सीमा पर फंसे व्यक्तियों की ओर केंद्रित है, शरणार्थियों और देश पर केंद्रित तीसरा आदेश जिसमें देश के शरणार्थियों और अन्य पर प्रतिबंध लगाना है उसे राष्ट्रपति ने असुरक्षित माना है।

तीन अन्य मसौदा आदेश पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। ड्राफ्ट के आधार पर हमने निम्नलिखित देखा है: एक जो डीएसीए कार्यक्रम को समाप्त करेगा और हटाने की प्राथमिकताओं को बदलेगा, दूसरा कुछ सरकारी लाभ की प्राप्ति के तरीकों में बदलाव लाएगा, आप्रवासियों और उनके प्रायोजकों और तीसरा विदेशी कर्मचारियों को प्रभावित करेंगे।

नोट: विभिन्न हस्ताक्षरित और मसौदा आदेश में से कुछ प्रावधान राष्ट्रपति के अधिकार से परे हो सकते हैं या संविधान का उल्लंघन हो सकता है। परिणाम स्वरूप, इसे बाद में संघीय अदालत द्वारा प्रतिबंधित किया जा सकता है।

I. पूर्ववत घटना के विषय में जानकारी

<u>आंतरिक प्रवर्तन आदेश</u> (25 जनवरी 2017 को हस्ताक्षर किए गए)

अन्य बातों के अलावा, यह आदेश निम्नलिखित के बारे में संघीय सरकार को जानकारी प्रदान करते हैं:

- निर्वासन प्रवर्तन प्रयासों में वृद्धि करना ताकि उन आपराधिक
  - दोषसिद्धि वाले लोगों
  - को शामिल किया जा सकें, जिनके ऊपर अपराध का आरोप लगाया है भले ही आपराधिक अदालत की कार्यवाही पूरी नहीं हुई हो,
  - जिन्होंने आपराधिक कृत्यों को स्वीकार किया है उन पर आरोप नहीं लगाया गया है,
  - जो किसी सरकारी एजेंसी के साथ धोखाधड़ी में शामिल हैं,
  - जिन्होंने अवैध रूप से कल्याण हितलाभ प्राप्त किया है,
  - जिनके पास निष्काशन का अंतिम आदेश है लेकिन कभी छोड़ा नहीं गया
  - और जो किसी भी प्रकार से सार्वजनिक सुरक्षा या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं।
- अतिरिक्त 10,000 निर्वासन अधिकारियों की नियुक्ति करें।
- जिन राज्यों और बस्तियों के लोग स्थानीय कानून प्रवर्तन के अनुसार संघीय कोष में रखे गए धन से संघीय आप्रवासी अधिकारियों की सहायता करने से मना करते हैं उन लोगो को सजा देना।
- अपराध से पीड़ित उन आप्रवासियों की सहायता करना जिनके पास दस्तावेज़ नहीं हैं।
- उन आप्रवासियों से अवैतनिक जुर्माना लेना जिनके पास दस्तावेज़ नहीं हैं।

मुस्लिम और अन्य लोगों को छोड़कर आदेश पर (27 जनवरी 2017 को हस्ताक्षर किया गया)

अन्य बातों के अलावा, यह आदेश निम्नलिखित के बारे में संघीय सरकार को जानकारी प्रदान करते हैं:

- अगर उनके देश की नागरिकता के अनुसार उनका धर्म अल्पसंख्यक है तो उन लोगों के लिए अनुमत अपवादों को छोड़कर कम से कम 120 दिनों के लिए, अधिकतर उन शरणार्थियों का प्रवेश रोकना, जो धार्मिक उत्पीड़न के शिकार हैं।
- वित्तीय वर्ष 2017 में राष्ट्रपति ओबामा के 110,000 शरणार्थी के प्रवेश के लक्ष्य को कम करके 50,000 पर लाना।
- कम से कम 90 दिनों के लिए, ईरान, इराक, लीबिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया और यमन जैसे नामित देशों में सभी आप्रवासियों और गैर आप्रवासियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाना।
- धोखाधड़ी और राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी मामलों के लिए सभी आप्रवासी और गैर-आप्रवासी आवेदनों की जांच करें।
- बॉयोमीट्रिक प्रवेश निकास प्रणाली की प्रक्रिया को जल्द ही पूरा करें।
- साक्षात्कार छूट कार्यक्रम निलंबित करना और सभी वीजा आवेदकों को तब तक साक्षात्कार में भाग लेने के की आवश्यकता नहीं है जब तक कानून द्वारा आवश्यक न हो।
    - यह विजिटर वीजा प्राप्त करने की आवश्यकता को पूरा करने वाले वीजा छूट कार्यक्रम को प्रभावित नहीं करते हैं।
- भले ही कथित "आतंकवादी संगठन" की छोटे और बड़े स्तर पर सहायता कर रहे हों, आतंकवाद से संबंधित अमान्यता के आधार पर सभी छूट समाप्त करने पर विचार करें।

सीमा सुरक्षा और निर्वासन आदेश (25 जनवरी 2017 को हस्ताक्षर किए गए)

अन्य बातों के अलावा, यह आदेश निम्नलिखित के बारे में संघीय सरकार को जानकारी प्रदान करते हैं:

- हमारे दक्षिणी सीमा पर दीवार का निर्माण करना।
- दक्षिणी सीमा को सुरक्षित रखना, ताकि कोई भी बिना अनुमति के प्रवेश न कर सकें।
- दक्षिणी सीमा के निकट आधुनिकतम संरक्षण संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराना।
- जो लोग बिना किसी अनुमति के सीमा में प्रवेश करते हैं उन लोगो के लिए "कैच एंड रिलीज़" नीति समाप्त करना ताकि उनके निर्वासन के मामले को रोका जा सके।
- 5,000 अतिरिक्त सीमा गश्ती अधिकारियों की नियुक्ति करना।
- शरणार्थियों के आवेदनों की ठीक से जांच करना ताकि अधिकतर शरणार्थियों के आवेदनों को अस्वीकृत किया जा सके।
- उन राज्यों और बस्तियों के लोगो को सजा देना जो स्थानीय कानून प्रवर्तन के अनुसार संघीय आप्रवासी अधिकारियों के साथ सहयोग करने से मना करते हैं।

II. निकट भविष्य में क्या बदलाव हो सकते हैं

ड्राफ्ट डीएसीए, डीएपीए और प्रवर्तन प्राथमिकता आदेश (30 जनवरी 2017 तक हस्ताक्षर नहीं किए)

अब तक, राष्ट्रपति ट्रम्प ने संकेत दिया है कि ऐसे युवा जिन्होंने डैफर्ड एक्शन फॉर चाइल्डहुड अराइवल्स प्रोग्राम (डीएसीए) के लिए पंजीकृत करवाया है उन्हें प्रवर्तन प्राथमिकता नहीं दी जाएगी, अर्थात वे ऐसे लोगो को निर्वासित करने की मांग नहीं कर रहे हैं जिनके पास डीएसीए है। **हमने जो ड्राफ्ट देखा है उस पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं किया गया है।** मसौदा कार्यकारी आदेश डीएसीए को समाप्त कर सकता है। अन्य बातों के अलावा, यह आदेश निम्नलिखित के बारे में संघीय सरकार को जानकारी प्रदान करेंगे:

- डीएसीए कार्यक्रम की शुरुआत करके 15 जून 2015 के ज्ञापन को रद्द करना।
- डीएसीए के तहत जारी कोई भी रोजगार प्राधिकरण दस्तावेज (वर्क परमिट) प्रत्येक वर्क परमिट की समाप्ति की तिथि तक वैध रहते हैं।
    - हालांकि, मौजूदा डीएसीए वर्क परमिट की सीमा नहीं बढ़ाई जा सकती है।
- डीएसीए रजिस्ट्रार को अग्रिम पैरोल (यात्रा की अनुमति) देना बंद करें।

- डेफर्ड एक्शन फॉर पैरेंट ऑफ़ अमेरिकन और स्थायी निवासी (डीएपीए) प्रोग्राम तैयार करके 20 नवंबर 2014 ज्ञापन को रद्द करना
- कुछ प्रवर्तन प्राथमिकता संबंधी ज्ञापन को वापस लेना।
- डीएसीए को अभी भी मामले के आधार पर स्वीकृत करने की अनुमति दें।

सरकारी लाभ के संबंध में प्राप्तकर्ता को प्रभावित करने वाले मसौदा आदेश (30 जनवरी, 2017 तक हस्ताक्षर नहीं किया गया)

हमने इस कार्यकारी आदेश का केवल ड्राफ्ट देखा है, जिस पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं किया गया है। यह ज्यादातर प्रायोजकों और आप्रवासियों को प्रभावित करेंगे। मौजूदा संघीय कल्याण कानून सरकार को प्रायोजित आप्रवासी द्वारा प्राप्त कुछ लाभ की लागत के लिए सहायक प्रायोजकों को हलफनामा लगाने की अनुमति देते हैं, लेकिन अधिकतर भाग के लिए, यह कानून ऐतिहासिक रूप में न्यूयॉर्क राज्य में लागू नहीं किया गया है। प्रायोजकों से कुछ लाभ की लागत संग्रहित करने की मांग पूरा करके कानून लागू करना शुरू करने के लिए यह कार्यकारी आदेश संघीय सरकार को जानकारी प्रदान करेंगे।

इसके अलावा नोटिस की अवधि और टिप्पणी के बाद यह कार्यकारी आदेश जारी नए नियमों के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। इसका मतलब यह है कि नए नियम तुरंत लागू हो जाएंगे और इसका अनुसरण करने के लिए ग्राहकों से प्राप्त प्रतिक्रिया और सलाह संबंधी जानकारी प्रस्तुत करने के लिए हमारे पास समय होगा। किन परिस्थितयों में सरकारी सुविधा प्राप्त करने वाले व्यक्ति को अमेरिका से हटाने या अमेरिका में प्रवेश से वंचित किए जाने का खतरा होगा, के बारे में "सार्वजनिक कार्यभार" से संबंधित नए नियम होंगे। संघीय सरकार द्वारा दी जाने वाली कौन सी निधिकृत सुविधाएं किसी व्यक्ति को हटाने या प्रवेश से वंचित किए जाने का कारण हो सकता है, इन नए नियमों में इसकी सूची भी पुनः निर्धारित की जाएगी।

विदेशी कर्मचारियों के संबंध में मसौदा आदेश (30 जनवरी, 2017 तक हस्ताक्षर नहीं किया गया)

अन्य बातों के अलावा, अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए जाने वाले कार्यकारी आदेश निम्नलिखित के बारे में संघीय सरकार को जानकारी प्रदान करेंगे:

- पैरोल नीतियों में संशोधन और पैरोल पर प्रवेश के साथ-साथ अग्रिम पैरोल पर यात्रा के बाद शायद स्थायी निवासी की किसी स्थिति को समायोजित करने की सामर्थ्यता समाप्त करना।
- विभिन्न विदेशी कामगार वीजा श्रेणियों के लिए निम्नलिखित सहित विभिन्न परिवर्तन करें लेकिन सीमित न करें:
    - किसी की स्थिति समायोजित करने की सामर्थ्यता सीमित करना
    - योग्यता आधारित प्रणाली को बदलना।
    - विदेशी कर्मचारी से होने वाली क्षति से अमेरिकी कर्मचारी की सुरक्षा करना।
    - H2A कृषि कार्यकर्ता कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी बनाना।
- ई-सत्यापित का उपयोग विस्तारित करें।
- किसी भी विदेशी कार्यकर्ता द्वारा किसी अमरीकी कार्यकर्ता को होने वाली क्षति की जाँच करें।
- विदेशी मूल के व्यक्तियों के लिए जारी किए गए वर्क परमिट की संख्या और अमेरिका में काम करने वाले अधिकृत विदेशी मूल के व्यक्तियों की कुल संख्या के बारे में बताएं।

III. अन्य

अस्थायी संरक्षित स्थिति (टीपीएस)

- राष्ट्रपति ट्रम्प ने यह नहीं कहा है कि वे अस्थायी संरक्षित स्थिति (टीपीएस) वाले देशों को नामांकित करना जारी रखेंगे या नहीं।
- टीपीएस पदों की समाप्ति के लिए 60 दिन का नोटिस देना होगा।
- वर्तमान में टीपीएस वाले निम्नलिखित देश: अल साल्वाडोर, गिनी, हैती, होंडुरास, लाइबेरिया, नेपाल, निकारागुआ, सिएरा लियोन, सोमालिया, दक्षिण सूडान, सीरिया, यमन

आपराधिक दोष सिद्धी वाले गैर नागरिक

- आपराधिक दोष सिद्धी के मामलें में आपको सलाह के लिए एक सम्मानित वकील या कानूनी सेवा प्रदाता से संपर्क करना चाहिए ।
- यदि आप पर अभी या भविष्य में आपराधिक मुकदमा चल रहा है, तो आपको अपने वकील को यह सूचित करना चाहिए कि आप एक गैर नागरिक है और आपराधिक दोष सिद्धी या आरोप के आप्रवासन परिणामों के बारे में जानने के लिए चिंतित है।

आपका अधिकार

- चुप रहने का अधिकार: वकील से बात किए बिना आप्रवासी एजेंट या पुलिस से बातचीत न करें और किसी भी दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर न करें।
    - अपना नाम और पता देने के अलावा कुछ न करें।
    - अपना जन्म स्थान या नागरिकता/राष्ट्रीयता के बारे में न बताएं।
    - झूठ मत बोलें या गलत जानकारी न दें।
    - केवल इतना कहें कि "मैं कानूनी सलाहकार के गैर-मौजूदगी में आपके किसी भी प्रश्नों का जवाब नहीं दूंगा/दूंगी।" फिर चुप रहें!
- अपना दरवाजा न खोलें या पुलिस को तब तक अंदर न आने दें जब तक उनके पास आपराधिक गिरफ्तारी या तलाशी का वारंट न हो।
- सिटी एजेंसियां (City agencies) आपके आप्रवासन स्थिति के बारे में तब तक नहीं पूछते हैं जब तक यह जानना आवश्यक न हो कि आपने कुछ सुविधाओं के लिए अर्हता प्राप्त की है या नहीं।
- पुलिस तब तक आपके आप्रवासन स्थिति के बारे में नहीं पूछते हैं जब तक यह उनकी जांच के लिए प्रासंगिक हो।
- अपनी गिरफ्तारी की सूचना वाणिज्य दूतावास को दें।
- यदि आपके पास फ़ोटो पहचान पत्र है तो आप अपने देश का पासपोर्ट या दूतावास संबंधी कार्ड पहचान के रूप में न ले जाएं।

अग्रिम योजना

- संरक्षण और निर्वासन के मामले में एक आपातकालीन योजना बनाएं:
    - अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त करें।
    - किसी विश्वासी व्यक्ति के पास अपने पहचान दस्तावेजों (पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, आदि) की प्रति रखें।

अगर आपके कोई प्रश्न हैं या कोई सहायता चाहते हैं तो कृपया सुबह 9.30 बजे से दोपहर 12.30 बजे के बीच हमारे आप्रवासी हॉटलाइन टेलीफोन नंबर 844-955-3425 पर कॉल करें।